

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 156 वर्ष 2024

आवेदक- दिनेश कुमार

क्रेता- गन्दिया देवी

ग्राम- महुआटांड

ग्राम- महुआटांड

थाना- महुआटांड

जिला-बोकारो

थाना- महुआटांड

जिला-बोकारो

आदेश की क्र० सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
कार्रवाई के
टिप्पणी तारीख
03

2

आदेश

यह वाद आवेदक-दिनेश कुमार पिता-कौलेश्वर महतो वर्तमान पता-ग्राम-महुआटांड, पो०+थाना-महुआटांड, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
महुआटांड	48	48	734 / 904	08 डी०	08 डी०	रैयती दोन तीन I, वर्तमान स्वरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये में क्रेता-गन्दिया देवी पिता-स्व० मटन महतो मूल एवं वर्तमान निवास स्थान, पता-ग्राम-महुआटांड, पो०+थाना-महुआटांड, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 908/रा०, दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-554, दिनांक-18.03.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनों की जाति कुरमी-महतो है। जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में रामटहल वगै० के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०- 123, भौलुम सं०-1 पर घानाराम महतो, लोधन महतो वो मटुक महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. खतियानी/जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में रामटहल वगै० के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०- 123, भौलुम सं०-1 पर घानाराम महतो, लोधन महतो वो मटुक महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनों की जाति कुरमी-महतो है। जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-दिनेश कुमार पिता-कौलेश्वर महतो वर्तमान पता-ग्राम-महुआटांड, पो0+थाना-महुआटांड, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
महुआटांड 48	48	734 / 904	08 डी0	08 डी0	संतोष महतो	गोपाल महतो	नीज क्रेता	पचु महतो
कुल				08 डी0 (आठ डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,62,000/- (एक लाख बासठ हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-गन्दिया देवी पिता-स्व0 मटन महतो मूल एवं वर्तमान निवास स्थान, पता-ग्राम-महुआटांड, पो0+थाना- महुआटांड, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।